संख्या-20/2025/सा-3-477/दस-2025/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2025

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिनका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथियों का विस्तरण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के ऐसे सभी कार्मिकों जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिनका विज्ञापन दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 निर्गत किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए अन्यथा पात्र हैं और जो शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के निर्गत होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 का लाभ दिये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण संख्या-24/2024/सा-3-303/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 22.08.2024 निर्गत किया गया है।

2- शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 तथा विकल्प के आधार पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने संबंधी आदेश निर्गत करने की तिथि 31.03.2025 एवं एन0पी0एस0 खाता बन्द करने की तिथि 30.06.2025 निर्धारित की गयी थी। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय विभागों के कार्मिकों के द्वारा या तो विलम्ब से विकल्प प्रस्तुत किये गये या कार्मिकों द्वारा ससमय विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त भी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक आदेश निर्गत नहीं किये जा सके।

3- अत:, विकल्प प्रस्तुत करने एवं विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने संबंधी आदेश निर्गत करने हेतु उक्त तिथियां व्यतीत हो जाने के उपरान्त उपरोक्त कट-ऑफ तिथि बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है।

4- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करने तथा समस्त अनुवर्ती कार्यवाहियों के लिए उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	कार्यवाही	शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	2	3	4
1.	कर्मचारियों द्वारा एन0पी0एस0 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करना	31.10.2024	30.09.2025
2.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करना	31.03.2025	30.11.2025
3.	एन0पी0एस0 खाता बन्द करना	30.06.2025	28.02.2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समय-सीमा का यह विस्तरण अंतिम होगा तथा इसके उपरान्त किसी भी दशा में अग्रतर विस्तरण नहीं किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधित तिथियों तक अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित रहेगा।

5- शासनादेश दिनांक 28.06.2024 एवं शासनादेश दिनांक 11.07.2024 तथा कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण दिनांक 22.08.2024 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-सा-3-477(1)/दस-2025/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2). पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
(3). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली।
(4). श्री नितिन जोशी, वाईस प्रेसीडेन्ट एवं नेशनल हेड, पेंशन रिलेशन्स (एन0पी0एस0), प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलोजीज, लिमिटेड, मुम्बई।
(5). ट्रस्टी बैंक (ऐक्सिस बैंक लि0, कार्पोरेट ऑफिस), मुम्बई।
(6). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।